न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114 / 2021

1. सोभाग सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जाति राजपूत निवासी महनसर

वादी

बनाम

1. कजोड़ सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी महनसर
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी महनसर
3. भगवानाराम पुत्र तोलाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर (मृतक)
   - 3.1 सीताराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 3.2 मंगलचन्द पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 3.3 संजय पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर
4. ओमप्रकाश पुत्र तोलाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर (मृतक)
   - 4.1 राजू पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 4.2 कालूपुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 4.3 सुशिलपुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 4.4 जगदीशपुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 4.5 विजय पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी महनसर
5. बुल्लाराम पुत्र तोलाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर
6. मन्नालाल पुत्र तोलाराम जाति कुम्हार निवासी महनसर (मृतक)
   - 6.1 सांवरमल पुत्र मन्नालाल जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 6.2 महेन्द्र पुत्र मन्नालाल जाति कुम्हार निवासी महनसर
   - 6.3 धींसाराम पुत्र मन्नालाल जाति कुम्हार निवासी महनसर
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.12.2021

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम महनसर की सरहद में ख0न0 862 रकबा 0.35 है0 भूमि रामसिंह पुत्र उदयसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। रामसिंह का देहांत लगभग 55 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रश्नगत भूमि पर रामसिंह ओर उसके परिवार का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा। जागिरदारी के समय से ही उक्त भूमि रामसिंह के जागीर में रही है परन्तु रामसिंह व उसके परिवार ने इस भूमि को कभी काश्त नहीं किया ना ही उक्त भूमि उनके कब्जे में रही है। प्रश्नगत भूमि वादी के खेत ख0न0 963 का ही हिस्सा रही है अर्थात ख0न0 963 व 862 के मध्य कोई सींव नहीं है। खेत ख0न0 963 व 862 के चारो तरफ वादी द्वारा तारबंदी करवाई हुई है। वादी से पहले उक्त खेत को वादी के पिता काश्त किया करते थे। इसी प्रकार भूमि ख0न0 1368 रकबा 1.76 है0, ख0न0 1206 रकबा 0.32 है0 व ख0न0 1388 / 1522 गै0मु0 कुआं देवा पुत्र जीवा कुम्हार निवासी महनसर के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त भूमि को देवा व

के परिवार ने कभी काश्त नहीं किया। देवा का निधन करीब 80–85 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं उसके पुत्र तोलाराम का भी निधन करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है परन्तु उक्त जमीन आज भी देवा के नाम चली आ रही है। खेत ख0न0 1368, 1206 वादी के खेत ख0न0 1369 के सम्मिलित ही खेत है जिसके चारो तरफ वादी द्वारा पुख्ता तारबंदी की हुई है। उक्त खेत पर जागीरदारी के समय से ही वादी के परिवार का कब्जा काश्त रहा है। वादी द्वारा ही ख0न0 1368 में कुआं बनवाया गया था जिसका ख0न0 1388/1522 है जिस पर वादी द्वारा विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अन्त में खेत ख0न0 1368 रकबा 1.76 है0, ख0न0 1206 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1388/1522 गै0मु0 कुआं व ख0न0 862 रकबा 0.35 है0 भूमि वाके ग्राम महनसर के राजस्व रिकार्ड में खातेदारों का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना इकबाली जवाब जरिये वकील श्री भैरूसिंह शेखावत पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 14 ने स्वयं उपस्थित होकर अपना इकबाली जवाब पेश किया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 9 डाले।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की ओर से इकबाली जवाब पेश हो चुका है। अर्थात वाद वादी डिक्री किये जाने में किसी को कोई आपति नहीं है। समस्त तथ्यों एवं पक्षकरों के इकबाली जवाब के प्रकाश में वादवादी डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाके ग्राम महनसर की रोही स्थित ख0न0 1368 रकबा 1.76 है0, ख0न0 1206 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1388/1522 गै0मु0 कुआं व ख0न0 862 रकबा 0.35 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारों का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(साधुराम जाट) 21/12/21
उपखण्ड अधिकारी
महनसर